<u>प्रेस नोट दिनांक 26.02.21</u>

इटावा पुलिस द्वारा थाना वैदपुरा से टॉप- 10 अपराधी को 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा व क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा टॉप- 10 अपराधी को 01 अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया ।

<u>गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 25/26.02.2021 की रात्रि को कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा वैदपुरा चौराहा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति राधास्वामी सत्संग आश्रम के पास कानपुर आगरा नई रेलवे लाइन ओवर ब्रिज के नीचे कहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है, जिसके पास अवैध असलहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मुखबिर के साथ बताये गये स्थान पर पहुंची तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया जिसके द्वारा पुलिस टीम को देखकर ग्राम बीलाखेड़ा की ओर भागने का प्रयास किया गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए घेरकर ग्राम बीलाखेड़ा की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग पर पकड़ लिया गया।
अभियुक्त की जामा तलाशी लेने पर उसके पास से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुए।
पुलिस पूंछताछ मे गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम पवन उर्फ बन्टी पुत्र अर्जुन सिंह निवासी नगला देवसेन, थाना वैदपुरा, इटावा बताया जो कि थाना वैदपुरा से टॉप-10 अपराधी भी है एवं जिसके विरूद्ध पूर्व से ही जनपद के विभिन्न थानों में कई अभियोग पंजीकृत हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संम्बन्ध मे थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 21/21 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>-

1. पवन उर्फ बन्टी पुत्र अर्जुन सिंह निवासी नगला देवसेन, थाना वैदपुरा, इटावा।

<u>बरामदगी</u>-

1. 01 अवैध तमंचा(315 बोर)

2. 02 अवैध जिन्दा कारतूस(315 बोर)

<u>आपराधिक इतिहास</u>-

1. मु0अ0स0 296/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेंड्स कालोनी।

2. मु0अ0सं0 45/19 धारा 307/411 भादवि थाना वैदपुरा।

3. मु0अ0सं0 49/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना वैदपुरा।

4. मु0अ0सं0 59/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना वैदपुरा।

5. मु0अ0सं0 21/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

<u>पुलिस टीम</u>- मो0 हामिद प्रभारी निरीक्षक थाना वैदपुरा, उ0नि0 कामता प्रसाद, हे0का0 माजीद प्रसाद, का0 ज्ञान प्रसाद, का0 ओमवीर सिंह, हे0का0 सन्तोष सिंह।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा ।